



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-17/2023

दिनांक- 13 -जनवरी- 2023

प्रेस विज्ञप्ति

थाना गम्भीरपुर

नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाना व दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 08.01.2023 को वादी थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ द्वारा तहरीर दिया गया कि अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर शादी की झांसा देकर भगा ले गया है। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 11/23 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि करते हुए विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 13.01.2023 को उपनिरीक्षक राकेश तिवारी मय हमराह द्वारा थानाक्षेत्र में चेकिंग के दौरान मुखबिर ने आकर सूचना दिया कि मु.अ.सं.11/2023 धारा 363थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़। 366थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़। 376 IPC व 3/4 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गोमाडीह बाईपास के पास कहीं जाने के फिराक में खड़ा है। अगर जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है।

मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके बताया गए स्थान पर पहुंचकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम गोविन्दा उर्फ योगेन्द्र पुत्र स्व0 बृजलाल ग्राम रसूलपुर बाज बहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ बताया।

पंजीकृत अभियोग:- मु.अ.सं.11/2023 धारा 363थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़। 366थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़। 376 IPC व 3/4 पोक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त

गोविन्दा उर्फ योगेन्द्र पुत्र स्व0 बृजलाल ग्राम रसूलपुर बाज बहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ0नि0 राकेश तिवारी थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

का0 सुनील कुमार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

का0 सुबाश यादवथाना फूलपुर जनपद आजमगढ़। थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

का0देवव्रत यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना जहानागंज

नाबालिक लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने व दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 25.12.2022 को वादी द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी 14 वर्ष की भान्जी जो घर से दिनांक 06.06.22 को सुबह 06.00 बजे शौच के लिए गई थी लेकिन वापस नहीं आई। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 517/22 धारा 363 आईपीसी पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी व अभियुक्त राँकी पुत्र श्याम निवासी ग्राम बेलहा पंचपेडी जिला बेलासपुर (छत्तीसगढ़) का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

विवेचना के क्रम में उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह को मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राँकी पुत्र श्याम निवासी ग्राम बेलहा थाना पंचपेडी जिला बेलासपुर (छत्तीसगढ़) इस समय सुम्भी नहर पर खड़ा हैथाना फूलपुर जनपद

आजमगढ़। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा सुम्भी नहर के पास पहुँचकर अभियुक्त राँकी उपरोक्त को समय करीब 12.05 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 517/22 धारा 363थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़। 366थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़। 376 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त:-

राँकी पुत्र श्याम निवासी ग्राम बेलहा थाना पंचपेडी जिला बेलासपुर (छत्तीसगढ़) उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण:-

- 1- उ0नि0 श्री सन्तोष कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़
- 2- हे0का0 गोविन्द सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़
- 3.का0 सुधीर गोस्वामी थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना निजामाबाद

अवैध तमंचा व कारतूस व चोरी की मोटरसाईकिल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी/बरामदगी:-

आज दिनांक 13.01.23 को चौकी प्रभारी फरिहा सुल्तान सिंह अपनी टीम के साथ के फरिहा चौराहे के पास संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग कर रहे थे।

चेकिंग अभियान के दौरान एक व्यक्ति मोटर साइकिल से रानी की सराय की तरफ से आता दिखाई दिया तथा पुलिस टीम को देखकर वापस भागना चाहा। अचानक भागने पर शक होने पर पुलिस टीम द्वारा कुछ दूरी पर जाकर समय करीब 02.00 बजे रात्रि में पकड़ लिया गया।

- ➔ पकड़े गये व्यक्ति की पहचान सिन्टू पुत्र हरिराम निवासी ग्राम मस्जिदिया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के रूप में हुयी।
- ➔ अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमन्चा देशी .303 बोर तथा एक कारतूस जिन्दा बरामद हुआ।
- ➔ बरामद मोटर साइकिल HF डीलेक्स हरा रंग संख्या UP50 AU 3084 के बारे में अभियुक्त ने बताया कि निकामुद्दीनपुर गाँव के पास सड़क किनारे से चोरी किया था। बरामद मोटर साइकिल रजिस्ट्रेशन न0 UP50AU 3084 चेक करने पर वाहन स्वामी का नाम रामअवतार पुत्र रामानन्द निवासी गंगापुर कानी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ पाया गया।
- ➔ उक्त मोटर साइकिल के सम्बन्ध में थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 407/22 धारा 379 IPC पंजीकृत है।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0- 019/23 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0- 407/22 धारा 379/411 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सिन्टू पुत्र हरिराम निवासी मस्जिदिया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
बरामदगी

- 1 कट्टा नाजायज .303 बोर
- 1 जिन्दा कारतूस .303 बोर
- 1 मोटरसाईकिल HF डीलेक्स हरा रंग संख्या UP50 AU 3084

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सुल्तान सिंह थाना निजामाबादथाना फूलपुर जनपद आजमगढ़। आमजगढ़
2. हे0का0 शिवधन थाना निजामाबाद आजमगढ़

थाना फूलपुर

गोकशी करने वाले 8 अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध असलहा-कारतूस, गौमांस व मोटरसाइकिल सहित गोकशी के औजार

बरामद

➡ आज दिनांक 13.01.2023 को प्रभारी चौकी अम्बारी उ0नि0 हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह अम्बारी चौराहे पर मौजूद थे। मुखबिर से सूचना मिली कि आज कई गोवंशीय पशुओं को अम्बारी नई बस्ती में मोहम्मद लड्डन उर्फ सकलैन पुत्र मो0 सोहराब के घर में वध के लिये ले जा रहे थे तथा मोहम्मद लड्डन के मकान के पास कुछ लोग मोटरसाइकिल से आकर इकट्ठा हुए हैं जो गोवध के बाद मांस को ले जाकर दूर-दराज के गाँव में बेचते हैं।

➡ मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास कर चौकी अम्बारी प्रभारी हीरेन्द्र प्रताप सिंह ने उपनिरीक्षक माखन सिंह को सूचना से अवगत कराते हुए महिला/पुरुष आरक्षियों के साथ तत्काल मौके पर पहुँचने हेतु बताया तथा चौकी के उपनिरीक्षक महबूब अली, उपनिरीक्षक यासीन खाँ व पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुँचने के लिये निर्देशित करते हुए चौकी प्रभारी अम्बारी हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह के साथ नहर पुलिया के पास अम्बारी नई बस्ती माहुल रोड पहुँचे।

➡ मुखबिर द्वारा बताये गये मकान के पास पहुँच कर चारो तरफ से घेराबन्दी करके वहाँ पर मौजूद सभी 07 लोगो को पकड लिया गया तथा महिला आरक्षी निधि गुप्ता व संजू सरोज द्वारा वहाँ पर मौजूद महिला को पकड लिया गया।

➡ गिरफ्तार किए गये अभियुक्तो की तलाशी ली गयी तो इनके कब्जे से 80 किग्रा0 गोमांस, 08 राशि गोवंशीय पशु (06 राशि गाय व 02 राशि बछडा), 02 इलेक्ट्रानिक तराजू, 04 चापड लोहा, 04 चाकू स्टील, 01 रेती लोहा, 02 ठीहा लकडी, 10 पॉलीथीन पैकेट व कुछ खुले पॉलीथीन, 01 अवैध तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस, 07 मोबाइल फोन, 18225/- रुपये नगद, 5 हीरो सुपर स्पेलण्डर व 1 बजाज प्लेटिना (कुल 06 मोटरसाइकिल) बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

1- मु0अ0सं0 14/23 धारा 147/148/149/307 भादवि व 3/5/8 गोवध नि0 अधि0

2- मु0अ0सं0 15/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

3- मु0अ0सं0 16/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

आपराधिक इतिहास-

1- मु0लड्डन उर्फ सकलैन पुत्र मो0 सोहराब साकिन गोधना थाना पवई जनपद जिला आजमगढ उम्र-40

1- मु0अ0सं0 53/20 धारा 3/5/8 गो0नि0अधि0 व 307/269/270/188 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना पवई

2. मु0 समीर पुत्र मो0 लड्डन उर्फ सकलैन साकिन गोधना थाना पवई जनपद जिला आजमगढ उम्र-19 वर्ष

1. मु0अ0सं0 53/20 धारा 3/5/8 गो0नि0अधि0 व 307/269/270/188 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना पवई

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मु0लड्डन उर्फ सकलैन पुत्र मो0 सोहराब साकिन गोधना थाना पवई जनपद जिला आजमगढ.

2. मु0 समीर पुत्र मो0 लड्डन उर्फ सकलैन साकिन गोधना थाना पवई जनपद जिला आजमगढ हाल पता- अम्बारी नई बस्ती थाना फूलपुर जिला आजमगढ

3. रिजवान पुत्र कदीर साकिन ससना थाना फूलपुर जिला आजमगढ.

4. रिजवान अहमद पुत्र दिलशाद अहमद साकिन गद्दोपुर थाना दीदारगंज जिला आजमगढ.

5. शमसाद अहमद पुत्र अनारुल साकिन सहजेरपुर थाना फूलपुर जिला आजमगढ.

6. मो० रेहान पुत्र मो० आजम साकिन अम्बारी थाना फूलपुर जिला आजमगढ़।
7. सोनू पुत्र नगीना साकिन कान्धूपट्टी थाना कप्तानगंज जिला आजमगढ़।
8. साजिदा पत्नी मो० लड्डन उर्फ सकलैन साकिन गोधना थाना पवई जनपद जिला आजमगढ़।

बरामदगी -

- 80 किग्रा० गोमांस
- 08 राशि गोवंशीय पशु (06 राशि गाय व 02 राशि बछडा)
- 02 इलेक्ट्रानिक तराजू
- 04 चापड लोहा
- 04 चाकू स्टील
- 01 रेती लोहा
- 02 ठीहा लकडी
- 10 पॉलीथीन पैकेट व कुछ खुले पॉलीथीन
- 01 अवैध तमंचा
- 02 जिन्दा कारतूस
- 07 मोबाइल फोन
- 18225/- रुपये नगद

5 हीरो सुपर स्पेलण्डर व 1 बजाज प्लेटिना (कुल 06 मोटरसाइकिल)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. चौकी प्रभारी अम्बारी उ०नि० हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह।
2. उ०नि० माखन सिंह मय हमराह
3. उ०नि० महबूब अली मय हमराह
4. उ०नि० यासीन खाँ मय हमराह